

Divisa

100% Ayurvedic

आँखों को दीजिए कुदरती आई मंत्रा

Helps In :

- Eye Strain • Eye Dryness
- Eye Tiredness • Eye Freshness • Eye Cleanliness



Dr. Juneja's

EYE Mantra

Clinically Tested

24x7 Helpline: 8196822222 • www.eyemantra.com • Available at all leading medical stores

12 गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियों जैसे गुलाब, तुलसी, आंवला, नीम, पुदीना, शहद इत्यादि के योग से बनी 'आई मंत्रा' आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स आँखों में होने वाली समस्याओं जैसे आँखों की थकान, आँखों का सूखापन, आँखों पर दबाव कम कर उन्हें स्वस्थ व शीतल रखने में सहायक है। आयुर्वेदिक होने के कारण यह सुरक्षित है एवं इसका आँखों पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता।

प्रयोग विधि: 2 से 3 ड्रॉप्स दिन में तीन बार या विकित्सकीय परामर्शानुसार इस्तेमाल करें।

अपराध संदेप

नौकरी के नाम पर रुपये ठगने का आरोप

सहप्रजः। गांव गुतहरा निवासी सुशीला देवी पत्नी विजयपाल शाह ने कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने कहा है कि उनके पुत्र रजत शाह की रेलवे में नौकरी लगवाने लिए गांव के एक व्यक्ति ने अपने परिचित से वार्ता कराई थी। उसने नौकरी लगवाने के लिए दो लाख रुपये की मांग की थी। उन्होंने उसे 40 हजार रुपये नकद और उसकी पत्नी के बैंक के खाते में 62 हजार ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। आरोपी ने न तो उनके पुत्र की नौकरी ही लगावाई, न ही अब रुपये वापस कर रहा है। रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

युवक को पीटा, तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

सिकंदराराऊ। कोतवाली क्षेत्र के गांव भूपालगढ़ी में नामजदों ने एक युवक को पीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने कोतवाली में तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। गांव भूपालगढ़ी निवासी दिनेश कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह 20 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे के करीब भट्टे से कार्य कर अपने घर वापस लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में गांव के ही सियाराम, दिनेश और चंद्रशेखर बिना वजह गाली-गलौज करते हुए आए। पीड़ित ने विरोध किया तो लाठी-डंडों से प्रहार कर दिया। जिससे वह लहलुहान हो गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कोतवाल ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। संवाद

पिता-पुत्र के साथ मारपीट, घायल

सिकंदराराऊ। कोतवाली क्षेत्र के गांव जनसौर में खेत पर काम कर रहे पिता-पुत्र को नामजदों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने कोतवाली में चार नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जनसौर निवासी शिवम ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह अपने पिता के साथ खेत पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही हुकुम सिंह, नरेंद्र कुमार, जगेंद्र एवं मनी उर्फ मनोज कुमार बिना वजह गाली-गलौज करते हुए खेत पर आए। पीड़ित व उसके पिता ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से प्रहार कर दिया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। संवाद

महिला को पीटकर किया घायल

सिकंदराराऊ। कोतवाली क्षेत्र गांव गांगसीली में नामजदों ने एक महिला को पीटकर घायल कर दिया। पीड़िता ने कोतवाली में नामजद दो आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। गांव अगसीली निवासी मधुबाला पत्नी राजपाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 18 अप्रैल की रात्रि 8:00 बजे करीब गांव के ही उसके जेट कुंवर पाल पुत्र सोरन सिंह, अजीत कुमार पुत्र कुंवर पाल गाली गलौज करते हुए आए। पीड़िता ने जब गाली गलौज का विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जमीन पर गिराकर लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कोतवाल ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में विवेचना शुरू कर दी है। संवाद

मारपीट में चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

मुरसान। क्षेत्र के गांव केकरागढ़ी निवासी कविता देवी पत्नी अर्जुन सिंह ने दो महिलाओं सहित चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि 19 अप्रैल की शाम छह बजे वह अपने घर के काम में व्यस्त थीं। तभी गांव के अजय सिंह, यशोदा देवी, धीरज और रिया लाठी-डंडे लेकर उनके घर आए। आरोपियों ने आते ही गालियां देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने विरोध किया, तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से उनके अर्जुन सिंह के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। शोर-शराबा होने पर आरोपी वहां से जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप गिरी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद

कार की टक्कर से ई-रिक्षा चालक घायल

मुरसान। कस्बे के सादाबाद मार्ग पर पटा चौराहे के पास मंगलवार दोपहर एक कार ने ई-रिक्षा को टक्कर मार दी, जिससे रिक्षा चालक चोटिल हो गया। घायल चालक बच्चू सिंह निवासी नाला धर्मा मुरसान के परिजनों ने बताया कि वह मुरसान-सादाबाद मार्ग पर ई-रिक्षा चलाते हैं। मंगलवार दोपहर एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर गिर कर घायल हो गए। सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। घायल बच्चू सिंह को तत्काल मुरसान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार कराया गया। संवाद

भंते को तमंचा तानकर पीटा

सिकंदराराऊ। जीठी रोड स्थित आंबेडकर पार्क में 15 अप्रैल की रात आयोजित संगीत समारोह के नाम पर महिला डांसर्स द्वारा अश्लील नृत्य का विरोध करना भंते को भी पड़ गया। नामजद ने उन पर तमंचा तान कर पीट दिया। पीड़ित ने कोतवाली में नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मोहल्ला नौरंगाबाद पूर्वी निवासी भंते धम्मवीर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह आंबेडकर पार्क की देखरेख करते हैं। वहां ध्यान-साधना में लीन रहते हैं। आंबेडकर जयंती के

दूसरे दिन 15 अप्रैल की रात्रि करीब 10 बजे पार्क परिसर में संगीत समारोह के नाम पर अश्लील गाने बजाए जा रहे थे और महिला डांसर्स से नृत्य करवाया जा रहा था। बौद्ध भिक्षु होने के नाते उन्होंने इसका विरोध किया तो मंच पर मौजूद विजेंद्र जाटव निवासी गांव गड़ोला थाना हसायन हाल निवासी मोहल्ला नौरंगाबाद पूर्वी ने उन पर तमंचा तान दिया और पीटा। उनके कपड़े फाड़ दिए। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संवाद

EDUCATION HUB

JEEVAN JYOTI INSTITUTE OF NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES

A Unit of Jeevan Jyoti Hospital

उत्तर प्रदेश स्टेट मैडीकल फैकल्टी लखनऊ, इण्डियन नर्सिंग कॉंसिल नई दिल्ली एवं अटल बिहारी वाजपेयी मैडीकल युनिवर्सिटी लखनऊ से मान्यता प्राप्त

- M.Sc. NURSING
- P.B. B.Sc. NURSING
- B.Sc. NURSING
- A.N.M.
- G.N.M.
- B.M.L.T.
- D.M.L.T.

Diploma in PHARMACY
Diploma in O.T. TECHNICIAN
Diploma in PHYSIOTHERAPY
Diploma in OPTOMETRY
Diploma in X-Ray TECHNICIAN

10th. K.M., Mile Stone, Khair Road, Lodha, Aligarh

9634543435, 9694930295
9927066368, 9927742600

डिवाइडर से टकराई बेकाबू बाइक,जीजा-साले की मौत

मथुरा-बरेली मार्ग पर इगलास क्षेत्र में हुआ हादसा, दोनों के सिर में आई चोट

संवाद न्यूज एजेंसी

हाथरस। मथुरा-बरेली हाईवे पर इगलास कोतवाली क्षेत्र में डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार जीजा व साले की मौत हो गई। डिवाइडर से गिर टकराने के कारण साले की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि जीजा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मचा है।

अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सहबाजपुर के निवासी राहुल वाण्य (33) मंगलवार की सुबह अपने जीजा जय वाण्य (36) पुत्र रामबाबू गुप्ता निवासी हरदुआगंज अलीगढ़ के साथ वृंदावन दवा लेने के लिए गए थे। दोनों ने बांकि बिहारी के दर्शन किए और इसके बाद दवा लेकर दोपहर एक बजे मथुरा-बरेली मार्ग से हाथरस होते हुए विजयगढ़ लौट रहे थे।

रास्ते में इगलास कोतवाली क्षेत्र में तोछीगढ़ बंबा पर अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और हाईवे किनारे लगे रेलिंग से टकरा गई। टक्कर होते ही दोनों सिर के बल

जय और राहुल के फाइल फोटो।

डिवाइडर पर गिर। राहुल का सिर फट गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जय के भी सिर के अगले हिस्से में गड़ढ़ा हो गया। एक आंख बाहर आ गई और चेहरा फूल गया था। वह भी अचेत थे, लेकिन सांस चल रही थी।

राहगीरों ने पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के बाद जय को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी भी मौत हो गई। परिजन शव जिला अस्पताल ले आए। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि एक माह पहले ही राहुल के बेटा हुआ है।

अचानक हुई घटना से दोनों परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है। सीओ सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि हादसा इगलास क्षेत्र में हुआ है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। वहीं इगलास कोतवाल अवधेश कुमार ने बताया कि बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जिससे यह हादसा हुआ है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इगलास पुलिस के अनुसार दोनों युवकों की बाइक रफ्तार में थी। राहुल ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन वह इतनी तेजी से गिर कि हेलमेट निकल गया और उनका सिर फूट गया, जबकि जय ने हेलमेट नहीं पहन रखा था।

हादसों में तीन लोग घायल सादाबाद।

अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव चौहानपुर निवासी वीरेश कुमार अपने पिता के साथ थाना चंदपा क्षेत्र के गांव चित्तावर में आयोजित ब्रह्मभोज में शामिल होने आए थे। दोनों बाइक से अपने ननिहाल गांव नाला फता जा रहे थे। सादाबाद-मथुरा मार्ग पर पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे वीरेश कुमार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पिता को भी कुछ चोट लगी। इधर, मुरसान रोड पर मोपेड सवार अमर सिंह निवासी लुहेठा मुरसान घायल हो गए। संवाद

गैस, बदहज्मी, कब्ज, पेट फूलने टेक्नोफार्म का आयुर्वेदिक

गैस्टेक

सिरप • टेबलेट

खट्टी डकार में लाभदायक

8601 841 515

Available at TATA 105 amazon

MRP - 200ML - 113/-
MRP - 450ML - 178/-
पेट पर टेक्नोफार्म गैस्टेक की भी

परिसंपत्ति वसुली शाखा - गाजियाबाद, ई-52-बी, सेक्टर-09, नोएडा-201301 फ़ोन नंबर -0120-3295465 ई-मेल - arb.ghaziabad@bankofindia.bank.in			
प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ साथ पंडित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं			
वर्तमान के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नौमी बिक्री सूचना			
आम जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ताओं और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रखी गई/बध्द रखी गई/प्राप्ति की गई नीचे बर्णित अचल संपत्तियों का, जिनका निर्माण/वक/भौतिक कच्चा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, 26.05.2026 को (सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) "जैसे है जहां है", जैसे है जो है" के आधार पर बेची जाएगी।			
ईएमपी/दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 25.05.2026 है। इच्छुक खरीदार को अपना नाम पोर्टल www.baanknet.com पर पंजीकृत कराना होगा और ग्लोबल ईएमपी वॉलेट में ऑनलाइन ईएमपी जमा करनी होगी।			
वेची जाने वाली संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है: वसुली को जाने वाली राशि (प्रतिभूति ऋण) और कच्चे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में दर्ज/लिखित है।			
क्रम सं.	शाखा का नाम और खाते/ऋणकर्ता का नाम	मांग सूचना दिनांक/बकाया राशि और कच्चे का प्रकार	संपत्ति का विवरण एवं स्वामी
1.	परिसंपत्ति वसुली शाखा, गाजियाबाद 1) मेसर्स कस्तुरी देवी शीतलया प्राइवेट लिमिटेड श्री चंद्र पाल शर्मा (निदेशक) श्रीमती रूचि पचौरी (निदेशक) खसरा नंबर 324, गांव-मीताई, तहसील और जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101 2) श्री चंद्र पाल शर्मा (निदेशक) पुत्र स्वर्गीय फूल सिंह गांव - पहाड़पुर, तहसील और जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश-2042121 श्री चंद्र पाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय फूल सिंह उमा भवन, नंबर 2, आदर्श नगर, जिला - हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101 3) श्रीमती रूचि पचौरी (निदेशक) पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार पचौरी उमा भवन, नंबर 2, आदर्श नगर, जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101 4) श्री देवेन्द्र कुमार पचौरी (गारंटर) पुत्र श्री चंद्र पाल शर्मा, उमा भवन, नंबर 2, आदर्श नगर, जिला - हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101 यहां भी: श्री देवेन्द्र कुमार पचौरी पुत्र श्री चंद्र पाल शर्मा गांव-पहाड़पुर, तहसील और जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश-204212 5) श्रीमती मधु शर्मा (गारंटर) पत्नी श्री प्रेम शंकर शर्मा मकान नंबर सी-51, पॉकट पी 7, सेक्टर पीएसआई-1, गेट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201310 6) श्रीमती रुचि शर्मा (गारंटर) पत्नी श्री मुकेश शर्मा खसरा नंबर 3759, कच्चा कोली, लोधी पुष्प कॉलोनी, वासनी गेट, हर नारायण सराय के पास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001. 7) श्री नवीनी लाल शर्मा (गारंटर) पुत्र श्री राम सिंह शर्मा, शेरापुर, गढ़ी हुलसी, तहसील - सादाबाद, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश-281306। यहाँ भी: श्री नवीनी लाल शर्मा (गारंटर) पुत्र श्री राम सिंह शर्मा, गाँव-मरौनी, पोस्ट-अदलपुर, तहसील - सादाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश-281306. 8) श्री सुरेश चंद शर्मा (गारंटर) पुत्र श्री राम सिंह शर्मा, शेरापुर, गढ़ी हुलसी, तहसील - सादाबाद, जिला - हाथरस, उत्तर प्रदेश-281306. यहाँ भी: श्री सुरेश चंद शर्मा (गारंटर) पुत्र श्री राम सिंह शर्मा गाँव-मरौनी, पोस्ट-अदलपुर, तहसील - सादाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश-281306. (9) श्रीमती उर्मिला देवी (गारंटर) पत्नी स्वर्गीय राम बाबू शर्मा शेरापुर, गढ़ी हुलसी, तहसील-सादाबाद, जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश-281306 10) श्री ललित कुमार (गारंटर) पुत्र स्वर्गीय राम बाबू शर्मा शेरापुर, गढ़ी हुलसी, तहसील-सादाबाद, जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश-281306। साथ ही - श्री ललित कुमार (गारंटर) पुत्र स्वर्गीय राम बाबू शर्मा 634, सेक्टर 7, एमआईडी, आवास विकास कॉलोनी, सिफंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश-282005 11) श्री अमित कुमार (गारंटर) पुत्र स्वर्गीय राम सिंह शर्मा शेरापुर, गढ़ी हुलसी, तहसील-सादाबाद, जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश-281306 12) श्री महेंद्र पाल सिंह (गारंटर) पुत्र श्री उमराव सिंह ग्राम-तेहरा, तहसील और जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101 13) श्री मनोज कुमार (गारंटर) पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद ग्राम-चाहपुर चनपा, तहसील और जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101। पर भी: श्री मनोज कुमार (गारंटर) पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद वाला पट्टी, भट्टा वाली गली, अडहिया, तहसील और जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101 14) श्री मुकेश कुमार (गारंटर) पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद ग्राम-चाहपुर चनपा, तहसील और जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101 पर भी: श्री मुकेश कुमार (गारंटर) पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद वाला पट्टी, भट्टा वाली गली, अडहिया, तहसील और जिला हाथरस, सूची-204101.	Rs. 7,85,28,163.17/- + अप्रभाषित ब्याज और 01.12.2024 से कोई अन्य व्यय [यें संपत्तियों बैंक के संकेतिक कच्चे में हैं]	1) खसरा संख्या 324, ग्राम-मीताई, आगरा हाथरस रोड, परगना-हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101 के एक भाग में स्थित वर्ष 2014-2015 में खरीदी गई संपन्न एवं मशीनरी का रोहन, विवरण: डीजी सेट (जेक्सन/क्यूमिंस मेक), कूलिंग सिस्टम / डिफरेंट कंपटाल / डिस्क्यूमिंग / प्रकाश पैलल/मोटर, कंप्रेसर, रिसीवर, पावरलाइन, डिफ्यूसिंग इकाईयों (शीत भंडारण के भीतर), मोटर। सीमा: एनए 2) मेसर्स कस्तुरी देवी शीतलया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खसरा संख्या 324, ग्राम-मीताई, परी किंग्स मार्ग, आगरा हाथरस रोड, परगना, तहसील एवं जिला-हाथरस (उत्तर प्रदेश) में स्थित शीत भंडारण भूमि और भवन का सम्मूल्यांकन (ईस्क्यूएम) 7320.00 वर्ग मीटर, सीमा: उत्तर: मान सिंह और हरि सिंह की भूमि, दक्षिण: रास्ता, पूर्व: विक्रिता की भूमि, पश्चिम: चक रोड। 3) चंद्र पाल के पुत्र देवेन्द्र कुमार के नाम पर खाता संख्या 31, खसरा संख्या 581 और 582, ग्राम-पहाड़पुर, परगना, तहसील एवं जिला-हाथरस (उत्तर प्रदेश) में स्थित 14130 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली खाली जमीन का पूरा भाग एवं अंश, सीमा: उत्तर: सड़क और गणेश पाल की संपत्ति, दक्षिण: मवासी राम की संपत्ति, पूर्व: बंबा, पश्चिम: दीपक की संपत्ति। 4)देवेन्द्र कुमार पचौरी और चंद्र पाल शर्मा के नाम पर खाता संख्या 93, खसरा संख्या 69, ग्राम पहाड़पुर, तहसील एवं जिला हाथरस (उत्तर प्रदेश) में स्थित 4150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली स्वतंत्र स्वामित्व वाली खाली भूमि का पूरा भाग एवं अंश, सीमा: उत्तर: महेंद्र पाल का प्लाट, दक्षिण: चक रोड, पूर्व: चक रोड, पश्चिम: मूल चंद का प्लाट। 5) श्री मनोज कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद और श्री मुकेश कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद के स्वामित्व में शिव नगर कॉलोनी, बल्ला पट्टी, अडहिया, तहसील एवं जिला हाथरस (उत्तर प्रदेश) में स्थित आवसीय (दी मॉजिला इमारत) का पूरा भाग, जिसका क्षेत्रफल 224.44 वर्ग मीटर है। सीमा: उत्तर: मिथिलेश शर्मा की संपत्ति, दक्षिण: दया रानी जी की संपत्ति, पूर्व: सुमन लता की भूमि के बाद का रास्ता, पश्चिम: रास्ता। 6) श्री नवीनी लाल शर्मा, श्री सुरेश चंद्र शर्मा, श्रीमती उर्मिला देवी, श्री ललित कुमार और श्री अमित कुमार के नाम पर खसरा संख्या 167 और 177, गढ़ी हुलसी, ग्राम शेरापुर, राया रोड, सादाबाद, तहसील एवं जिला हाथरस (उत्तर प्रदेश) में स्थित 358 वर्ग मीटर के मुक्त स्वामित्व वाले प्लॉट का पूरा भाग, सीमा: उत्तर: अन्य का प्लाट, दक्षिण: राया रोड, पूर्व: बाबू राम की संपत्ति, पश्चिम: लैन। 7) भाग I: देवेन्द्र कुमार पुत्र चंद्र पाल के नाम पर ग्राम पहाड़पुर, तहसील एवं जिला हाथरस (उत्तर प्रदेश) में स्थित आवसीय प्रोहोल्ड संपत्ति का पूरा भाग एवं अंश, जिसका क्षेत्रफल 213.32 वर्ग मीटर है, सीमा: उत्तर: सड़क, दक्षिण: श्री निवास की संपत्ति, पूर्व: राधे श्याम की संपत्ति, पश्चिम: दीप चंद की संपत्ति। भाग II: देवेन्द्र कुमार पुत्र चंद्र पाल के नाम पर ग्राम पहाड़पुर, तहसील एवं जिला हाथरस (उत्तर प्रदेश) में स्थित 92.50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली आवसीय प्रोहोल्ड संपत्ति का पूरा हिस्सा। सीमा: उत्तर: सुरेश चंद और राम स्वरूप का घर, दक्षिण: सड़क, पूर्व: सुरेश चंद का घर, पश्चिम: राम स्वरूप का घर। 8) मेसर्स कस्तुरी देवी शीतलया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खसरा संख्या 324, ग्राम-मीताई, पारो रोड, परगना, तहसील एवं जिला- हाथरस (उत्तर प्रदेश) के शीत भंडारण परिसर में स्थित 540 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की खाली जमीन, का पूरा भाग एवं अंश। सीमा: उत्तर: शांति स्वरूप की भूमि, दक्षिण: फतेह सिंह की संपत्ति, पूर्व: स्वामी की भूमि, पश्चिम: कस्तुरी देवी शीत भंडारण। 9) श्रीमती रुचि शर्मा पत्नी मुकेश शर्मा के नाम पर खसरा संख्या 3759, टाउन कोडल, बालाजी नगर, हरमयन सराय के पास, तहसील एवं जिला अलीगढ़ में स्थित दो मंजिला आवसीय मकान का पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 97.86 वर्ग मीटर है। सीमा: उत्तर: गोविंद पालीवाल का मकान, दक्षिण: ओम प्रकाश शर्मा का प्लाट, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: मंदिर की भूमि।
नोट : क्रम सं. 01, 02 व 08 पर निर्दिष्ट संपत्ति को इकट्ठा बेचा जाएगा अधवा क्रम सं.02 व 08 पर निर्दिष्ट संपत्ति को क्रम सं. 01 पर निर्दिष्ट संपत्ति के बाद बेचा जाएगा।			
अधिकृत अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर: केलाश कुमार सागर, मोबाइल नंबर : 9506722936			

नियम एवं शर्तें: 1. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट <https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration> के माध्यम से ऑनलाइन बोली प्रक्रिया द्वारा हो होगी।
2. ई-नौमी की तिथि और समय 26.05.2026 (सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक, प्रत्येक 10 मिनट के चक्र: विकल्प के साथ) है। इच्छुक जमा करने की अंतिम तिथि 26.05.2026 है।
3. नीलामी बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन अंतिम मूल्य और प्रथम बृद्धि मूल्य पर प्रारंभ होगी। नीलामताओं को संपत्ति के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मूल्यों/बृद्धि मूल्य में अपने प्रस्तावों को साथ-2 बढ़ाना होगा। संपत्तियों को आरक्षित मूल्य और प्रथम बृद्धि मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
4. इच्छुक नीलामताओं को पोर्टल www.baanknet.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और ग्लोबल ईएमपी वॉलेट में ऑनलाइन ईएमपी जमा करना होगा, जिसके बाद उन्हें उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदारों को अपने केवाईसी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी वेबसाइट पर जमा करने होंगे।
5. संपत्ति सभी मौजूदा या भविष्य के भारों (चर्च को छोड़ें) सहित बेची जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति पर किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकारों/दावों या कचका के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6. प्राधिकृत अधिकारी को जानकारी के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक नीलामताओं को संपत्ति के ऋणधार/स्वामित्व, वैधानिक देयता, कर देयता/संपत्ति कर के संबंध में स्वयं स्वस्थ जांच करनी चाहिए। संपत्तियों को वेबसाइट www.baanknet.com पर लॉग इन करके देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए, प्राधिकृत अधिकारी से बैंकिंग समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।
7. सफल नीलामता/खरीददार संपत्ति की खरीद पर देय सभी करों का वहन करेगा, जिसमें विक्रय मूल्य का 01%, टीडीएस (चर्च विधिवत मूल्य 50 लाख रुपये या उससे अधिक है) और अनिवार्य बिक्री आयोजित करने के लिए सेवा देयता को देय कर शामिल हैं। इसके साथ ही विक्रय प्रमाण पर जारी करने के लिए देय शुल्क, जैसे कि स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि सफल नीलामता द्वारा वहन किए जाएंगे।
8. असफल नीलामता को ईएमपी की वापसी के लिए EBKRAY/ baanknet से स्वयं संपर्क करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी ईएमपी की वापसी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
9. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उधारण बोली स्वीकार करने के लिए पालन करेगा और यदि कोई भी वापसी बोली नहीं है, तो वापसी कर ले जाएगा और संपत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी तथा चूक करने वाले नीलामताओं का संपत्ति/रशि पर कोई दायरा/अधिकार नहीं होगा।
10. बिक्री प्रमाण पर केवल खरीददारों/आवेदकों के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
11. सफल नीलामता की घोषणा करीब जमा (ईएमपी) विक्रय मूल्य के एक भाग के रूप में रखी जाएगी। घोषित राशि जमा पर कोई व्यय नहीं दिया जाएगा। सफल नीलामताओं को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की घोषणा के बाद अपने कार्यालय में अंश जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
जो इच्छुक नीलामता वेबसाइट पर पंजीकरण करना चाहते हैं और ईएमपी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाते, डेटा अपलोड करते, ई-बोली प्रक्रिया पर परिपूर्ण आदि में सहायता चाहते हैं, वे कस्टमर सपोर्ट से 8291222020 पर संपर्क कर सकते हैं या support@baanknetpsb.alliance.com पर ईमेल भेज सकते हैं। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए वे प्राधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा वेबसाइट www.baanknet.com पर उपलब्ध ई-नौमी पोर्टलफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
नोट: सभी इच्छुक नीलामता 22.04.2026 से 25.05.2026 तक बैंक के कार्य समय के दौरान ही एडो/साक्षात से संपर्क करने के बाद संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण/सह्यता का दौरा कर सकते हैं। इसके बाद या ऑनलाइन तिथि से पहले सह्यत निहित के लिए कोई भी उत्तरदायी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया <https://www.bankofindia.bank.in/> | <https://www.baanknet.com> पर दिए गए लिंक देखें।

इसे ऋणकर्ताओं व गारंटरों को प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) व 9(1) के तहत संवैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना भी माना जाए

दिनांक: 21.04.2026, स्थान: नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया